

डिगरी बमूकदमें इब्दादाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रियांबडी
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.

वादी

1-गणेशराम पुत्र रामदयाल जाति ब्राहमण
निवासी जसनगर तहसील रियांबडी

बनाम

प्रतिवादीगण:-

1-राज.सरकार जरिये तहसीलदार रियांबडी
2-पटवारी हलका जसनगर

दावा बाबत रेकर्ड दुरुस्ती अंतर्गत धारा 89 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955.
मुकद्दमान राजस्व वाद संख्या:-252/2017 यह मुकद्दमा आज वास्ते अनफिसाल कतई रुबर
हमारे व हाजरी वादी....मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी गण मिनजानिम मुद्दयलाह पेश होकर
हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-
" मौजा जसनगर के खसरा नंबर 1924 रकबा 0.18 हैक्टर में वादी के पिता का नाम
दयालराम के स्थान पर रामदयाल किया जावें।"

तहसीलदार रियांबडी उक्त संशोधन किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त किया जावें।
.....लीत.....मुबलिक.....बाबात.....खर्चा इस मुकद्दमें मय सूद व शहर.....

.....फिस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयोबो तक.....का अदा करें।

नोट:-उपरोक्त खसरान में सें अगर बैंक के रहन रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख :- 08.06.2018

(गौरीशंकर शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी (गौरीशंकर)

राजस्व लोक अदालत
कैम्प जसनगर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिक् मीजान			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीशनर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक् मीजान		

(गौरीशंकर शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी
रियांबडी (गौरीशंकर)

राजस्व लोक अदालत